COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA CANCELLED TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

264

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

नि-457-I-16

1. दिनेश गूजर आत्मज भाईजी गूजर
2. गनेश उर्फ गब्बर गूजर आत्मज भाईजी गूजर
3. डिल्लू गूजर आत्मज भाईजी गूजर

तीनों निवासी डुंगरिया तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर .... आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती गुरमीत कौर पति रघुवीरसिंह
2. श्रीमती रंजीत कौर पति गुरूजिन्दर सिंह

महर्षि नगर इटारसी तहसील इटरसी जिला होंशगाबाद .... अनावेदकगण

बी.एस. साहू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार रीडर 22 JAN 2016 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

निगरानी अंतर्गत धारा 50 एवं धारा 129 (4) म.प्र.भू.रा.सं. 59

आवेदकगण वर्तमान निगरानी नाप प्रकरण क्रमांक 10 एवं 11 अ/12 वर्ष 2014-15 सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नरसिंहपुर एवं राजस्व निरीक्षक देवरी गाडरवारा द्वारा किये गये नाप दिनांक 24.05.2015 प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2015 जिसकी जानकारी अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 250 संहिता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार गाडरवारा पेशी दिनांक 23.10.2015 में दस्तावेज प्रदाय किये जाने पर जानकारी होते ही नाप प्रकरण की प्रमाणित प्राप्ति आवेदन दिनांक 31.12.2015 में लगाने उपरांत दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त होते ही उक्त नाप से पीड़ित होकर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है ।

तथ्य

1. यह कि ग्राम डुगरिया नं.बं. 194 प.ह.नं. 21 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में सिति ख.नं. 208 व 211 का रकवा काफी बड़ा रहा है जो कि आवेदकगण की पैत्रिक संपत्ति रही है तथा आवेदकगण व उनके परिवार में आपसी बंटवारा वर्षो पूर्व हो गया था तभी से आवेदकगण अपने अपने हक व अंश की भूमियों पर याने ख.नं. 208/6, 208/8, 211/5, 211/7 रकवा 2.466 मालिक काबिज चले आ रहे हैं तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जमीनें बिक्री की गई थी जो कि खुशीलाल साहू के नाम ख.नं. 208/6, 211/5 रकवा 2.023 हेक्टेयर एवं ख.नं. 208/8, 211/7 रकवा 2.466 हेक्टेयर दर्ज रही है जिसमें कभी भी आपत्ति नहीं की तथा खुशीलाल साहू द्वारा स्वयं के कब्जा की भूमि पंजीकृत बैनामा दिनांक 29.05.2012 से दोनों अनावेदकगण को विक्रय कर कब्जा दे दिया रहा है इस तरह सन् 2012 से आवेदकगण ने कभी भी नाप नहीं कराया न ही आपत्ति की बल्कि आवेदकगण स्वयं के पैत्रिक हक की भूमि की पर मालिक काबिज चले आये है।

2. यह कि ओवदक क्रमांक 1 दिनेश गूजर अनपढ़ है न मात्र हिन्दी में हस्ताक्षर जानता है एवं गनेश व गब्बर एक ही व्यक्ति है तथा डिल्लू भी अलग है तथा मौके पर अनावेदकगण की खरीद भूमि से लगी भूमियों, दिनेश गूजर, शीलाबाई गूजर एवं स्व. भाई जी कौरव की जमीनें है परंतु अनावेदकगण पंजी से आये हुए

OATH COMMISSIONER शपथ आयुक्त Man Singh Verma M.A. LL.B. JABALPUR

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 457–एक/16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी प्रकरण कमांक 10 एवं 11/अ–12/2014–15 में सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख नरसिंहपुर एवं राजस्व निरीक्षक देवी, गाडरवारा द्वारा किए गए नाप दिनांक 24–5–15 एवं प्रतिवेदन दिनांक 3–6–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिकाओं द्वारा कलेक्टर (भू–अभिलेख) नरसिंहपुर के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 24–5–15 को सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन किया गया, जिसकी उनके द्वारा दिनांक 3–6–15 को अनावेदिकाओं को पत्र द्वारा दी गई । पत्र में यह लेख किया गया कि वे अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्ति हेतु संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही के लिए तहसीलदार, गाडरवारा के समक्ष आवेदन पेश कर सकती है । सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख के उक्त पत्र एवं सीमांकन पंचनामा के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि सीमांकन कार्यवाही विधिवत नहीं है क्योंकि सीमांकन की कोई सूचना पड़ोसी कृषकों को नहीं दी गई है । कथित सूचनापत्र पर केवल आवेदक कमांक 1 दिनेश (अनपढ़) के हस्ताक्षर अंग्रेजी में बनाए गए हैं इस संबंध में उनके द्वारा सीमांकन का	

R. 457. 5/11 (11 Bero)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सूचनापत्र एवं निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथपत्र की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृर्षित किया गया । यह भी कहा गया कि अन्य किसानों को भी कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया । नाप की सारी प्रकिया प्रारंभ से ही दूषित है । अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मौके पर कोई नाप नहीं किया गया है एवं सारी कार्यवाही मनमाने तरीके से पूर्ण करली गई है जो निरस्ती योग्य है । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विरोध के कारण आवेदकों ने हस्ताक्षर करने से मना किया गया है । सूचनापत्र में भी आवेदक द्वारा सूचनापत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है । 5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार कियाएवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है । प्रकरण में जो सूचनापत्र है उसमें अन्य काश्तकारों के अतिरिक्त आवेदक कमांक 1 का उल्लेख है और उसके हस्ताक्षर अंग्रेजी में बने हुए हैं । अन्य दो आवेदकों को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया है, अन्य 2 आवेदकगण सरहदी काश्तकार नहीं है इस प्रकार की कोई आपत्ति अनावेदकों द्वारा नहीं की गई है । अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न है, उसको देखने से स्पष्ट है कि उसमें बाद में भिन्न स्याही से टीप लिखी जाकर आवेदक कमांक 1 के मौके पर हस्ताक्षर करने से इंकार किये जाने का उल्लेख है । पंचनामा पर जो हस्ताक्षर हैं वे पड़ोसी कृषक हैं या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में जो सीमांकन की कार्यवाही की गई है वह विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 457–एक / 16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही सभी सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर विधिसम्मत तरीके से करें । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	